>

Title: Need to give representation to Rajasthan in Bhakra Beas Management Board -laid

श्री रामसिंह कस्वां (चुरू) : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में क्लाज 79 (2) (अ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बी.बी.एम.बी. में दो पूर्णकालीन सदस्यों की नियुक्ति की जानी है । मंत्री , जल संसाधन, भारत सरकार की अध्यक्षता में 29,30 जुलाई, 1992 एवं 6 अगस्त, 1992 को मुख्यमंत्री पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा के साथ आयोजित बैठक में यह सहमति बनी थी कि बी.बी.एम.बी. में सदस्य , सिंचाई के पद पर नियुक्ति वर्ष 1.1.1992 से प्रत्येक दो वर्ष पश्चात रोटेशन से की जायेगी, लेकिन इस निर्णय के पश्चात् भी सदस्य सिंचाई के पद पर हरियाणा राज्य के अधिकारियों की लगातार नियुक्ति की जा रही है । राजस्थान राज्य का रावी-व्यास पानी में बहुत बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी बी.बी.एम.बी. में प्रतिनिधित्व देने से इंकार किया जा रहा है, जो अनुचित है । राजस्थान सरकार ने बार-बार इस मुद्दे को उठाकर इस संबंध में निवेदन किया है व यह भी कहा है कि यदि सदस्य, सिंचाई का पद राजस्थान व हरियाणा को बारी-बारी से दिया जाना संभव नहीं हो तो उस स्थिति में बी.बी.एम.बी. में एक तीसरे सदस्य का पद सृजित किया जाये जिससे राजस्थान को उसका उचित हक मिल सके । मैंने व राजस्थान के अधिकांश सांसदों द्वारा पिछली लोक सभा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर इसके लिए निवेदन किया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान को हक दिलाने के लिए सदस्य, सिंचाई का प्रतिनिधित्व दिलाने में आवश्यक कार्यवाही करें ताकि, राजस्थान के हितों की रक्षा हो सके ।